



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2026 ई0 (आषाढ़ 20, 1948 शक सम्वत्) [संख्या-28

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	397-405	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	171-175	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	323-328	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून

विज्ञप्ति

20 जून, 2026 ई0

पत्रांक-4476/तीन- 150/च0सं0/2026-27-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-226/XVIII(3)/2026-03 (02)/2022, दिनांक 13 मई 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद नैनीताल, के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त की जाती है :-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	भवानीपुर खुल्वे	रामनगर	भावर चिल्किया	नैनीताल

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

22 जून, 2026 ई0

संख्या-817/XX-4/2026-E-84925-राज्यपाल, निजी सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-29, वर्ष 2005) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके "निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिये राज्य की आदर्श नियमावली, 2022" के प्रयोजन हेतु श्रीमती तृप्ति भट्ट, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को "नियन्त्रक प्राधिकारी" नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-36/XX-4/2025-E-84925, दिनांक 24.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

वन अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-1376/X-1-2026-04(03)/2024-श्री कपिल लाल (भा०व०से०-1993, उत्तराखण्ड संवर्ग) प्रमुख वन संरक्षक को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), सर्वोच्च वेतनमान, (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-17-₹ 2,25,000) श्रेणी में प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सी० रविशंकर,

सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-806/XXXI(1)/2026/पदो०-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव, वेतनमान लेवल-13 'क' के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, अपर सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-807/XXXI(1)/2026/पदो०-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री अनिल कुमार पाण्डेय को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल-13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री अनिल कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-808/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री वीरेन्द्र प्रसाद को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान- ₹78800-209200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र प्रसाद, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-809/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री हरीश सिंह रावत, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान- ₹67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरीश सिंह रावत, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-810/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री विजय सिंह तड़ियाल, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विजय सिंह तड़ियाल को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विजय सिंह तड़ियाल, अनुभाग अधिकारी को सहकारिता अनुभाग में तैनात किया जाता है।

5- श्री विजय सिंह तड़ियाल, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-813/XXXI(1)/2026/पदो-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री तजम्मुल हुसैन खान, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-₹ 67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री तजम्मुल हुसैन खान, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-814/XXXI(1)/2026/पदो-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री जयकृष्ण बड़ोनी, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-₹ 67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जयकृष्ण बड़ोनी, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-815/XXXI(1)/2026/पदो-01/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कंचन कुमार पाण्डेय, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान-₹ 67700-208700 (लेवल-11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कंचन कुमार पाण्डेय, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-816/XXXI(1)/2026/पदो-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती मनीषा पाण्डेय, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मनीषा पाण्डेय को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

5- श्रीमती मनीषा पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-817/XXXI(1)/2026/पदो-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री हरिराज सिंह, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरिराज सिंह को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरिराज सिंह, अनुभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-01 में तैनात किया जाता है।

5- श्री हरिराज सिंह, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई०

संख्या-818/XXXI(1)/2026/पदो-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कैलाश चन्द्र रतूड़ी, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कैलाश चन्द्र रतूड़ी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कैलाश चन्द्र रतूड़ी, अनुभाग अधिकारी को वन अनुभाग-02 में तैनात किया जाता है।

5- श्री कैलाश चन्द्र रतूड़ी, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई0

संख्या-819/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री मनोज चन्द्र मिश्र, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मनोज चन्द्र मिश्र को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मनोज चन्द्र मिश्र, अनुभाग अधिकारी को शहरी विकास अनुभाग-02 में तैनात किया जाता है।
- 5- श्री मनोज चन्द्र मिश्र, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 6- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई0

संख्या-820/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रमेश चन्द्र जोशी, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रमेश चन्द्र जोशी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- 3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रमेश चन्द्र जोशी, अनुभाग अधिकारी को गृह अनुभाग-05 में तैनात किया जाता है।
- 5- श्री रमेश चन्द्र जोशी, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 6- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 जून, 2026 ई0

संख्या-821/XXXI(1)/2026/पदो0-01/2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री जगदीश सिंह रावत, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जगदीश सिंह रावत को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

- 3- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जगदीश सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी को कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग में तैनात किया जाता है।
- 5- श्री जगदीश सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 6- यह आदेश 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना जायेगा।

आज्ञा से,
रणवीर सिंह चौहान,
सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप
(पदोन्नति)

29 जून, 2026 ई0

संख्या-408901/ई-41499/XIII-1/2026-01(53)2001-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन औद्यानिक विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' सेवा नियमावली, 1993 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को तात्कालिकप्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान (वेतनमान रु0 56100-177500/वेतन लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम0 सं0	पदोन्नत अधिकारी के नाम	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1	श्री लक्ष्मण सिंह भण्डारी	2025-26	—
2	श्रीमती नेहा रावत	2025-26	—
3	श्री देवी प्रसाद डंगवाल	2025-26	—
4	श्री भुवन चन्द्र सेमवाल	2025-26	—
5	श्री कुलदीप जोशी	2025-26	—
6	कु0 ऋचा जोशी	2025-26	—
7	श्री संजय रयाल	2025-26	—
8	श्रीमती लता तिवारी	2025-26	—
9	श्री देवेन्द्र स्वरूप काण्डपाल	2025-26	श्री नवीन चन्द्र पपनै, श्रेणी-2 के दिनांक 30.06.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष।
10	डॉ0 पूजा उनियाल	2025-26	श्री प्रताप सिंह रौथान, श्रेणी-2 के दिनांक 30.06.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या:-356/एस0बी0/2021 शंकर लाल कोहली व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है।
3. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वह पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री देवेन्द्र स्वरूप काण्डपाल एवं डॉ0 पूजा उनियाल द्वारा श्री नवीन चन्द्र पपनै, श्रेणी-2 एवं श्री प्रताप सिंह रौथान, श्रेणी-2 के दिनांक: 30.06.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले रिक्त पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।
5. उपर्युक्तानुसार श्रेणी-2 में पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अर्पण कुमार राजू,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 263/XIV-66/Admin.A/2003--Shri Shrikant Pandey, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 11.05.2026 to 20.05.2026 with permission to prefix 09.05.2026 & 10.05.2026 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 264/XIV/a-13/Admin.A/2024--Ms. Dhanishta Arya, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 09.03.2026 to 16.03.2026 with permission to prefix 08.03.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 265/XIV-1/Admin.A/2008--Shri Ambika Pant, 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned:

1.	Earned leave	For 10 days w.e.f. 04.05.2026 to 13.05.2026 with permission to prefix 03.05.2026 as Sunday holiday.
2.	Earned leave	For 06 days w.e.f. 25.05.2026 to 30.05.2026 with permission to prefix 24.05.2026 & suffix 31.05.2026 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 266/XIV/a-37/Admin.A-2/2023--Shri Abhishek Kumar Mishra, the then Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, presently posted as Judicial Magistrate-II, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 33 days w.e.f. 28.04.2026 to 30.05.2026 with permission to suffix 31.05.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 267/XIV-a-46/Admin.A/2020--Ms. Nandita Kala, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 33 days w.e.f. 28.04.2026 to 30.05.2026 with permission to suffix 31.05.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 30, 2026

No. 268/XIV-a-33/Admin.A/2020--Shri Prateek Mathela, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 25.05.2026 to 31.05.2026.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

July 03, 2026

No.269/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Harish Kumar Goel, Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Dehradun, in the vacant Court.

This order will come into force with immediate effect.

No.270/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Sanjeev Kumar, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is given additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge/Special Court (NDPS Act), Nainital, created vide G. O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026.

This order will come into force with immediate effect.

No.271/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Kusum, F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO Act, Dehradun is given additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge/Special Court (POCSO Act), Dehradun, created vide G. O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026.

This order will come into force with immediate effect.

No.272/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Vivek Srivastava, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is given additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge/Special Court-II (NDPS Act), Dehradun, created vide G. O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026.

This order will come into force with immediate effect.

No.273/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Anita Gunjyal, F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO Act, Udham Singh Nagar is given additional charge of the Court of Additional District & Sessions Judge/Special Court (POCSO Act), Udham Singh Nagar, created vide G. O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026.

This order will come into force with immediate effect.

Note:

- (A) Recommendation of the name of Shri Brijendra Singh, Legal Advisor to Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar is being sent to the State Government for his posting as Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal, vice Shri Harish Kumar Goel.

This order shall come into force upon the Issuance of a notification to this effect by the State Government.

- (B) Recommendation of the name of Shri Arun Vohra, 5th Additional District & Sessions Judge, Haridwar is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Legal Advisor to Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar, vice Shri Brijendra Singh.

This order shall come into force upon the Issuance of a notification to this effect by the State Government.

No.274/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Abhishek Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, (N.I. Act Special Court), Vikasnagar, District Dehradun, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with immediate effect.

No.275/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Avinash Kumar Srivastava, Additional Chief Judicial Magistrate, Haridwar is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, (N.I. Act Special Court), Haridwar, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with Immediate effect.

No.276/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Arti Saroha, Additional Chief Judicial Magistrat-I (N.I. Act Special Court), Dehradun is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate-II (N.I. Act Special Court), Dehradun, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with Immediate effect.

No.277/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Kapil Kumar Tyagi, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Haridwar is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate (N.I. Act Special Court), Roorkee, District Haridwar, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with immediate effect.

No.278/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Meenakshi Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate (N.I. Act Special Court), Haldwani, District Nainital, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with Immediate effect.

No.279/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Vishal Vashishth, 5th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is given additional charge of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate-III (N.I. Act Special Court), Dehradun, created vide G.O. No. 29/XXXVI-A-1/2026-10 Writ/2024(E-81748) dated 29.01.2026

This order will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

कार्यालय-ज्ञाप

25 जून, 2026 ई0

पत्रांक:-273/18/पदोन्नति/अधि0/2015-16-मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 302 ऑफ 2017 (एस/एस) एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 22.06.2026 की संस्तुति तथा मा0 आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में श्री सुशील डंगवाल को दिनांक 26 अगस्त, 2015 को आहूत चयन समिति की बैठक में समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक श्री दीपक रावत (ज्येष्ठता क्रमांक-20) के ठीक ऊपर स्थान प्रदान करते हुए, श्री सुशील डंगवाल को समीक्षा अधिकारी के पद पर लेवल-08 (47,600-1,51,100) में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

अशोक कुमार पाण्डेय,
सचिव।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल

आदेश/अधिसूचना

02 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक:-786/15-ए.जे.ए./2026-27-रिट याचिका संख्या 31/पी.आई.एल./2012 प्रो. अजय रावत बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2026 को पारित आदेशों के अनुपालन हेतु नैनीताल नगर में यातायात के नियमन एवं अन्य सम्बद्ध विषयों पर आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस प्रशासन, नगर प्रशासन, परिवहन विभाग एवं अन्य हितधारकों की बैठक में अन्य सुझावों के साथ-साथ यह सुझाव भी प्रस्तुत किया गया कि वाहनों द्वारा ध्वनि संकेतकों (HORN) के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के दृष्टिगत नैनीताल नगर के अंतर्गत सम्पूर्ण मालरोड में वाहनों द्वारा ध्वनि संकेतों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित होगा।

अतः मैं ललित मोहन रयाल, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 187 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नैनीताल नगर के अंतर्गत तल्लीताल डांड से मल्लीताल रिकशा स्टैण्ड तक के क्षेत्र में ध्वनि संकेतकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता हूँ। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत पूर्व में घोषित HORN PROHIBITED क्षेत्रों में ध्वनि संकेतकों (HORN) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा।

तल्लीताल डांड से मल्लीताल रिकशा स्टैण्ड तक के क्षेत्र में ध्वनि संकेतकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध दिनांक 01.08.2026 से प्रभावी होगा।

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/230-भाग 1-क-2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र पंजी सं. BR49281115 में उसका नाम रिधान (Ridhaan) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम रिधान (Ridhaan) से बदलकर अर्जुन सोनी (Arjun Soni) कर लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अर्जुन सोनी (Arjun Soni) पुत्र श्री जितेन्द्र वर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जितेन्द्र वर्मा

निवासी — 22A, विष्णु गार्डन कनखल हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे स्व० पति श्री नरेन्द्र सिंह के पी०पी०ओ० संख्या UKDDN00004786 मे त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम NEELAM KAUR गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम C.N.LEELAMMA है। जो मेरे पी०पी०ओ० संख्या पी०-2368/2001 एवं आधार कार्ड संख्या 713076688193 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे C.N.LEELAMMA पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

C.N.LEELAMMA
W/O LATE NARENDER SINGH
निवासी-डी-134 नेहरू कॉलोनी, धरमपुर
देहरादून उत्तराखण्ड-248001

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 77174 में मेरा नाम HEMANT KUMAR पुत्र TILAK RAJ SHARMA दर्ज है, लेकिन मेरे पूर्व पेन कार्ड नं० ADTPH6804K में त्रुटिवश मेरा नाम HEMANT गलत दर्ज हो गया था, लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम HEMANT KUMAR से बदलकर HEMANT KUMAR SHARMA कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड 562584157238 व नए पेन कार्ड नं० ADTPH6804K में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे नाम HEMANT KUMAR SHARMA S/O TILAK RAJ SHARMA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

HEMANT KUMAR SHARMA
S/O TILAK RAJ SHARMA
निवासी- 136 बाइपास रोड कोतवाली के पास
एनफील्ड ग्रांट विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड सं. 5511 8995 0308 में त्रुटिवश मेरा नाम जोगेन्द्र सिंह (JOGENDRA SINGH) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम योगेन्द्र पाल (YOGENDAR PAL) है। जो मेरे पहचान पत्र सं० UP/85/421/495303 व पंजाब नेशनल बैंक लक्सर की पासबुक खाता सं. 14805115000639 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे योगेन्द्र पाल (YOGENDAR PAL) पुत्र भरत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

योगेन्द्र पाल (YOGENDAR PAL) पुत्र भरत सिंह
निवासी :- कुवां खेडा लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं० 686037143666 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम रुद्रांश (RUDRANSH) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम विहान धीमान (VIHAAN DHIMAN) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B-2018:5-90069-001354 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को विहान धीमान (VIHAAN DHIMAN) पुत्र आशीष धीमान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आशीष धीमान

निवासी—68 संजय गांधी कॉलोनी, रुड़की, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 487416486705 में त्रुटिवश मेरा नाम बिन्दु देवी (BINDU DEVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम बिन्दो देवी (BENDO DEVI) है जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र नं० B2026050361600000001 व मेरे पति के पी०पी०ओ० सं० 240198003521 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बिन्दो देवी (BENDO DEVI) पत्नी स्व० भोपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बिन्दो देवी (BENDO DEVI)

पत्नी स्व० भोपाल सिंह

निवासी—बन्नी, खेंडोली, खेंडोरी, ग्वील, पौड़ी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं० 4045 3074 0906 में त्रुटिवश उसका नाम शाबेश आलम (SHABESH ALAM) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शावेज मलिक (SHAVEJ MALIK) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं०-B-2017: 5-90062-000173 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100055396 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को शावेज मलिक (SHAVEJ MALIK) पुत्र श्री शाहिद हुसैन के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शाहिद हुसैन

निवासी—गदरपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं० 683904368802 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सानु तोमर (SANU TOMAR) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सान्वी तोमर (SAANVI TOMAR) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B-2021:5-90411-000483 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सान्वी तोमर (SAANVI TOMAR) पुत्री श्री सुनील तोमर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुनील तोमर

निवासी पो०-बिरमऊ, ग्राम उत्तराखण्ड-248196.

बिरमऊ, देहरादून,

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 8870 8450 8175 में उसका नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) से बदलकर सृष्टी बर्मन (SRISHTI BARMAN) कर लिया है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० 2491 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सृष्टी बर्मन (SRISHTI BARMAN) पुत्री श्री जसवंत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जसवंत सिंह

निवासी-295 नया आदर्श नगर रुड़की

जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं० 900323356876 में त्रुटिवश उसका नाम ANUSHIYARAWAT गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनुसुइया रावत (ANUSUIYARAWAT) हैं। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० 2930 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अनुसुइया रावत (ANUSUIYARAWAT) पुत्री प्रतिमा रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रतिमा रावत पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह

निवासी हरिपुर कलां देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नंबर 441634063417 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अक्षरा जुयाल गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आरवी है जो पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 399/2014 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को आरवी पुत्री श्री सुरेश जुयाल के नाम से जाना पहचाना वह पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुरेश जुयाल

निवासी तरली जॉली ग्रांट शिव शक्ति गार्डन
बड़ोवाला देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 630516086693 में त्रुटिवश उसका नाम आशी सैनी (AASHI SAINI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अंशिका (ANSHIKA) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 326 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अंशिका (ANSHIKA) D/O ANSHUL SAINI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ANSHUL SAINI

निवासी गली नं0 25, कृष्णा नगर रुडकी
जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं परम सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी ग्राम सुद्धोवाला, पोस्ट ऑफिस सुद्धोवाला, देहरादून यह घोषित करता हूँ कि मेरे सेवा अभिलेखों तथा पीपीओ (पीपीओ संख्या : POSTAL/2017/UC/10642) में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश Dorpati दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पत्नी का सही एवं आधिकारिक नाम Dropati Rawat है, जो उनके आधार कार्ड (संख्या : 3859 4222 9122) Dorpati और Dropati Rawat दोनों नाम एक ही महिला के हैं, जो मेरी विधिवत विवाहित पत्नी हैं।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

परम सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह,

निवासी ग्राम सुद्धोवाला, पोस्ट ऑफिस सुद्धोवाला, देहरादून

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 5278 2377 5185 में त्रुटिवश उसका नाम AMEY गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वंश वर्धन (VANSI VARDHAN) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० 00150 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को वंश वर्धन (VANSI VARDHAN) पुत्र मीनाक्षी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मीनाक्षी पत्नी श्री कृष्ण गोपाल
निवासी खंजर पुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 7475 5352 6854 में त्रुटिवश उसका नाम सरस्वती (SARASWATI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनामिका राजपूत (ANAMIKA RAJPUT) हैं। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं. B-2024: 5-90170 -000205 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अनामिका राजपूत (ANAMIKA RAJPUT) पुत्री राखी देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राखी देवी पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह
निवासी-324 लक्खी बाग, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 8218 1940 9678 में त्रुटिवश उसका नाम लक्ष्मी (LAXMI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम मुस्कान राजपूत (MUSKAN RAJPUT) हैं। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B-2023: 5-90170 -011958 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को मुस्कान राजपूत (MUSKAN RAJPUT) पुत्री राखी देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राखी देवी पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह
निवासी-324 लक्खी बाग, देहरादून (उत्तराखण्ड)।